

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-86/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० सुजाता कुमारी, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा के द्वारा दिनांक-25.04.2025 से 25.06.2025 तक कुल-62 (बासठ) दिनों उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1392(25), दिनांक-02.07.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सुजाता कुमारी के पक्ष में 668 (छः सौ अडसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-86/2026- 1919(2) पटना, दिनांक 7/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० सुजाता कुमारी, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

26/8/2026
सरकार के अवर सचिव
1